आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–104 / 2019

अंचल अधिकारी, अलौली.....वादी

बनाम्

गोपाल साह.....प्रतिवादी

आदेश

2/3/21

प्रस्तुत वाद का अभिलेख अंचल अधिकारी, अलौली के पत्रांक–757 दिनांक–25.05.19 एवं उसके साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया। प्रस्तुत वाद में सन्निहित भूमि एवं जमाबंदी का विवरण निम्नवत है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0	जमाबंदी रैयत
गोरियामी	616	1658 / 2	0–2–0	450	गोपाल साह वो मदन साह पेशरान–ठीठर साह, साकिन–लरही

अंचल अधिकारी, अलौली ने अपने उपरोक्त पत्र में उल्लिखित किया है कि प्रश्नगत जमीन का किस्म गैरमजरूआ खास "गढ़हा" है जिसकी जमाबंदी सं0 3098 अवैध रूप से विपक्षीगण के नाम से गठित कर दिया गया है। अतः उक्त आधार पर अंचल अधिकारी, अलौली ने जमाबंदी सं0 3098 को रद्द करने की अनुशंसा किये हैं।

विपक्षीगण इस वाद में वकालतन उपस्थित होकर अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये जिसमें उन्होंने कथन किया है कि प्रश्नगत जमीन भूतपूर्व जमीन्दार प्रोपाइटर साहेब बहादुर, मुंगेर की जमीन थी जिन्होंने गेना साह पे0–मुसो साह को दिनांक–29.05.1952 को अन्य भूमि के साथ प्रश्नगत भूमि बंदावस्त कर हुकुमनामा निर्गत किया। विपक्षीगण अंकित किये है कि उन्होंने मुसो साह के पुत्र सूरज साह से केवाला दिनांक 23.05.11 द्वारा प्रश्नगत भूमि खरीद कर अपने नाम से जमाबंदी सं0 3098 गठित करवाए, जो विधि अनुकूल है। अतः विपक्षीगण उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत वाद को खारिज करने की प्रार्थना किये है। विपक्षीगण ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये:–

1. हुकुमनामा दिनांक–29.05.1952 की प्रति।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	2. केवाला दिनांक–23.05.11 की प्रति। 3. जमाबंदी सं0 3098 के अंतर्गत निर्गत रशीद की प्रति। उभय पक्षों के अभिकथन, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है :– 1. राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति गैरमजरूआ खास गढ़हा है। 2. विपक्षीगण की ओर से दाखिल सादा हुकुमनामा दिनांक–29.05.1952 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यदि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा बंदोवस्ती की भी गयी हो तो यह अनियमित है। क्योंकि मध्यवर्तियों के बंदोवस्ती अधिकार दिनांक–01.01.44 से वापस ले लिया गया था और इसलिये कि प्रश्नगत भूमि गढ़ा है खतियान में दर्ज हैं जो बन्दोवस्ती के लिये वर्जित सूची में है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 आकर्षित होती है। अतः अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा उनके पत्रांक 757 दिनांक 25.05.2019 के द्वारा की गई अनुशंसा को सम्पुष्ट करते हुए मौजा–गोरियामी में गठित जमाबंदी सं0 3098 को खंडित किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, अलौली को अनुपालनार्थ भेंजे। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। 4/3/24 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। ज्ञा० सं० 335 दिनांक 24/6/24 प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, अलौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि- N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। 23/6 अपर समाहर्त्ता खगड़िया	